[2021] 11 एस. सी. आर. 321

2002 की मॉडिफाइड स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाआज़म जाहि मिल श्रमिक संगठन

बनाम

राष्ट्रीय पाठ्य निगम सीमित और अन्य .

(सिविल अपील सं। 6260-61 2021 का)

26 अक्टूबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 14 – समानता का अधिकार-134 पूर्व कर्मचारियों के समूह के साथ समानता की मांग करने वाले पूर्ववर्ती मिल के 318 पूर्व कर्मचारी

200 वर्ग कि. मी. आवंटित। मुफ्त भूखंड के यार्ड-मिल के श्रमिकों/कर्मचारियों को मिल द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले कर्मचारियों का क्वार्टर आवंटित किया गया था-कहा गया कि श्रमिक संघ के सदस्यों सहित कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली-इसके बाद, क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया-संघ के सदस्यों सहित 318 कर्मचारियों को जबरन बेदखल कर दिया गया, हालांकि, 138 कर्मचारी अपने-अपने क्वार्टरों में बने रहे-इसके बाद, मिल और काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण-कुडा को आवंटित भूमि का बड़ा हिस्सा बंद कर दिया गया-कुडा द्वारा राज्य सरकार को 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यार्ड से मुक्त भूखंड विकसित किया गया पुनर्वास और कल्याणकारी उपाय के रूप में मिल के 134 पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक को लागत, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था-इसके बाद, 200 वर्ग किलोमीटर के आवंटन की मांग करने वाले 318 सेवानिवृत्त श्रमिकों द्वारा प्रतिनिधित्व। अन्य 134 श्रमिकों को आवंटित यार्ड प्लॉट-श्रमिक संघ द्वारा लिखित याचिका-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत, हालांकि, डिवीजन बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः पूर्ववर्ती मिलों के शेष 318 पूर्व कर्मचारी मिलों के अन्य समान रूप से स्थित 134 पूर्व कर्मचारियों की तुलना में समानता का दावा कर सकते हैं और 200 वर्ग किलोमीटर का दावा कर सकते हैं। प्लॉटों के यार्ड मुफ्त-कानून का पालन करने वाले के रूप में

व्यक्ति, 318 कर्मचारियों ने क्वार्टर खाली कर दिए और इस तरह उन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। यार्ड्स ऑफ 134 पूर्व कर्मचारियों को भूखंड देना ताकि पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचाया जा सके और पुनर्वास और कल्याणकारी उपाय के रूप में, न कि समान रूप से स्थित अन्य पूर्व कर्मचारियों के लिए, भेदभावपूर्ण और कला का उल्लंघन होगा। 14 - समान रूप से तैनात पूर्व कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए अलग व्यवहार प्रदान करने में कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूखंड आवंटित किए गए पूर्व कर्मचारियों के एक अन्य वर्ग के साथ-इस प्रकार, खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।

और एकल न्यायाधीश को बहाल किया जाता है।

कला. 14 – समानता की अवधारणा-वैध वर्गीकरण-आयोजित: कला. 14 वैध वर्गीकरण की अनुमति दे सकते हैं वर्गीकरण आवश्यक है

अनिवार्य रूप से दो परीक्षणों को पूरा करना-अंतर करने वाला तर्क आधारित होना चाहिए।

एक न्यायपूर्ण उद्देश्य पर, और व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे से अलग करने के विकल्प में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 उस समय जब श्रम मंत्रालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 मिल को बंद करने की कार्यवाही आयोजित की गई थी,

संबंधित श्रमिकों को उचित दरों पर आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया था और बंद करने की मंजूरी देने वाले आदेश में, मिलों की ओर से यह अनुरोध प्रस्तुत किया गया था कि

के. यू. डी. ए. 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करेगा। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी सं. 4 मिल्स के 134 कर्मचारियों को नि:शुल्क विकसित भूखंडों के यार्ड। वीडियो गो। No.463 दिनांक 27.06.2007, राज्य सरकार ने स्वीकार किया प्रस्ताव दिया और 200 वर्ग मीटर आवंटित करने की अनुमति दी। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के 134 कर्मचारियों में से प्रत्येक को मुफ्त में विकसित भूखंडों के यार्ड। इसके आगे न तो 28.12.2006 दिनांकित संचार/पत्र में और न ही जीओ में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। No.463 दिनांक 27.06.2007 कि किसी भी मुकदमेबाजी और/या मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए, जैसा कि अब जवाब में हलफनामे में कहा गया है, 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था। 134 पूर्व कर्मचारियों को भूखंडों के यार्ड। हालाँकि, इसके बाद जब शेष 318 पूर्व कर्मचारियों की ओर से एक अनुरोध किया गया था, जो इसी तरह से 2002 के उन मॉडिफाइड वीआरएस के समान स्थित थे जो ए. एस. ओ. सी. के ए. जे. ए. एच. आई. मिल वर्कर्स के थे।

वी. एनटीसी लिमिटेड।

134 भूतपूर्व कर्मचारी, उन्हें 200 वर्ग कि. मी. भी आवंटित करें। घर के भूखंडों के यार्ड, उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। [पैरा 9.1]

1.2 उक्त तथ्यों और परिस्थितियों और की गई टिप्पणियों से यह पाया गया है कि 318 पूर्व कर्मचारियों को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित नहीं किया गया था। भूखंडों के यार्ड और 134 पूर्व कर्मचारी जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो समान रूप से स्थित थे और इसलिए उनके बीच कोई अंतर नहीं है। इसके विपरीत, 318 पूर्व कर्मचारियों को कानून का पालन करने वाले पूर्व कर्मचारी कहा जा सकता है जिन्होंने 1986 के बाद लेकिन 2002 से पहले दिनांकित सूचना के अनुसार क्वार्टर खाली कर दिए थे। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 134 पूर्व कर्मचारियों को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। मुफ्त भूखंडों के यार्ड अनधिकृत कब्जे में थे

क्वार्टर और उन्होंने दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस के बावजूद क्वार्टर खाली नहीं किए और 31.08.2002 के बाद भी जब उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की और राहत दी। इसलिए, उन कर्मचारियों को भूखंड आवंटित करना जो अनधिकृत व्यवसाय में पाए गए थे, उनकी अवैधता और अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में रहने के लिए प्रीमियम देने के समान होगा। दोनों वर्गों के कर्मचारी समान रूप से स्थित पाए जाते हैं, सिवाय अंतर के, 318 पूर्व कर्मचारी जो समान रूप से उन 134 पूर्व कर्मचारियों के साथ स्थित थे जब समानता और समानता का दावा किया गया था, इसलिए एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से परमादेश की रिट जारी की और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे उन सभी के साथ समान व्यवहार करें और 200 वर्ग कि. मी. आवंटित करें। जी. ओ. No.463 के अनुसार शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को भी भूखंडों के यार्ड। [पैरा 9.1] [342-बी-एफ]

1.3 यह निवेदन कि अपीलकर्ता संघ-318 पूर्व कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है और प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता का अधिकार समानता का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निहित अधिकार है।

और समानता और वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में राज्य/राज्य साधनों के खिलाफ लागू करने योग्य है। 318 पूर्व कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना उन 134 पूर्व कर्मचारियों से अलग नहीं है जिन्हें 200 वर्ग कि. मी. आवंटित किया गया था। भूखंडों के यार्ड मुफ्त में। समानों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसलिए, जब समानों के साथ व्यवहार किया जाता है [2021] 11 एस. सी. आर.

असमान रूप से, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है और इसलिए, अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी मांगी गई राहत के हकदार थे। [पैरा 9.2] [342-एफ-एच] 1.4 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा मौलिक अधिकार से निकलती है।

संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यक्त किया गया। समानता एक निश्चित अवधारणा है। समानता की अवधारणा की एक अंतर्निहित सीमा है जो संवैधानिक गारंटी की प्रकृति से उत्पन्न होती है। जिन लोगों की स्थिति समान है, वे समान व्यवहार के हकदार हैं। समानता समानताओं के बीच है। इसलिए वर्गीकरण को महत्वपूर्ण अंतरों पर आधारित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों को अलग करते हैं। समूहों में से छोड़े गए लोगों से एक साथ समूहीकृत और इस तरह के विभेदक गुणों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ न्यायपूर्ण और तर्कसंगत संबंध में होना चाहिए। किसी मामले में संविधान का अनुच्छेद 14 एक वैध वर्गीकरण की अनुमति दे सकता है। हालांकि, पालन किए जाने वाले वर्गीकरण को अनिवार्य रूप से दो परीक्षणों को पूरा करना होगा। सबसे पहले, भेद करने वाला तर्क एक न्यायपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और दूसरा, व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे से अलग करने के विकल्प का एक उचित संबंध होना चाहिए।

और मुकदमेबाजी की लागत और शेष भूमि का खाली कब्जा प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया और 200 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। 134 पूर्व कर्मचारियों को प्लॉट के यार्ड मुफ्त में दिए गए, जो इसमें पाए गए थे। क्वार्टरों पर कब्जा और कब्जा और इसलिए, 200 वर्ग मीटर आवंटित करने का एक वैध कारण था।

ए. एस. एस. ओ. सी. के 2002 के 134 पूर्व मॉडिफाइड वी. आर. एस. को भूखंडों के यार्ड। वी. एनटीसी लिमिटेड।

कर्मचारियों और यह कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक शपथ पत्र पर विचार किया जा सकता है और/या संदर्भित किया जा सकता है, इस बोधगम्य अंतर को निर्धारित करने के लिए, उक्त आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसका कोई सार नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुडा के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2007 में राज्य सरकार को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव दिया गया था। 134 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त भूखंडों के यार्ड, इस बात का कोई संदर्भ नहीं था कि किसी भी मुकदमेबाजी और/या मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए 200 वर्ग मीटर आवंटित करने का प्रस्ताव था। भूखंडों के यार्ड मुफ्त में। यहां तक कि जब जाओ। No.463 दिनांकित 27.06.2007 देखा जाता है, यह दिनांकित 28.12.2006 पत्र में पाया जाता है कि "पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचने और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में"। सरकार के. यू. डी. ए. के उपाध्यक्ष के प्रस्ताव और अनुमति पर सहमत हो गई है।

उन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के प्रत्येक 134 पूर्व कर्मचारियों के लिए विकसित भूखंडों के यार्ड मुफ्त। इसलिए, 200 वर्ग कि. मी. का आवंटन।

134 पूर्व कर्मचारियों के लिए मुफ्त भूखंडों का यार्ड पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 मिल्स के पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास और कल्याण के उपाय के रूप में था। यहां तक कि

एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, उच्च न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध नहीं किया गया था कि उन 134 व्यक्तियों को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। किसी भी मुकदमेबाजी और/या मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो अब इस न्यायालय के समक्ष पहली बार जवाबी हलफनामे में अनुरोध किया गया है। इसलिए उत्तरदाता नहीं हो सकते हैं

उनके मामले में सुधार करने की अनुमति दी गई जो उनके मामले में भी नहीं थी इससे पहले। उस समय जब उन्होंने उन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। 134 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त भूखंडों के यार्ड और यहां तक कि जी. ओ. में ऐसा नहीं कहा गया था। No.463 दिनांकित 27.06.2007 और यहाँ तक कि यह उच्च न्यायालय के समक्ष मामला नहीं था। [पैरा 9.4-9.5] [343-एफ-एच; 344-ए-डी; 346-एफ-जी]

1.6 जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत करने की बात है

Nos.2 और 3 कि इसके तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है

संविधान का अनुच्छेद 14 और केवल इसलिए कि 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने में उत्तरदाताओं की ओर से कोई गलती हुई थी। उक्त 138 व्यक्तियों को भूमि के यार्ड और इसलिए, अपीलार्थी समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। उत्तरदाताओं की ओर से यह कभी नहीं था/है कि वे 134 व्यक्तियों को गलती से भूखंड आवंटित कर दिए गए थे और/या 200 वर्ग मीटर आवंटित करने में कोई गलती हुई थी। उक्त 134 [2021] 11 एस. सी. आर. को भूखंड के यार्ड।

लोग। इसलिए, किसी भी नकारात्मक समानता के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। [पैरा 9.6] [347-डी-ई] 1.7 जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से यह निवेदन है कि उनके पास वर्तमान में 200 आवंटित करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है

शेष 318 पूर्व कर्मचारियों के भूखंडों की पहचान और उन सभी 318 पूर्व कर्मचारियों ने स्वेच्छा से आवास खाली किए और वे अपने घरों में बस गए, इसका संबंध है, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल इसलिए कि उन्होंने किसी भी कारण से और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में भी आवास खाली किए, उन्हें कानून का पालन करने वाले व्यक्ति होने के नाते नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। यहां तक कि यह भी नहीं माना जा सकता है कि उन सभी 318 पूर्व कर्मचारियों को बसाया गया था जिन्होंने क्वार्टर खाली कर दिए थे और कहीं और रह गए थे। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के इसकी इस तरह से कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे कई पूर्व कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें आवास खाली

करने के लिए मजबूर किया गया था और जो शायद बस नहीं पाए हों या एक कमरे के घर में रह रहे हों। किसी भी मामले में, 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए। 134 पूर्व कर्मचारियों को भूखंडों का यार्ड देना ताकि पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचा जा सके और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में और पुनर्वास के रूप में न कि अन्य पूर्व कर्मचारियों के लिए समान रूप से स्थित कर्मचारी भेदभावपूर्ण होंगे और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेंगे। इसके विपरीत,

134 कर्मचारियों को इस आधार पर भूखंड आवंटित करना कि वे अनधिकृत व्यवसाय में थे और इसलिए, मुकदमेबाजी/मुकदमेबाजी से बचने के लिए लागत उन लोगों को प्रीमियम देना होगा जो अवैध अनधिकृत व्यवसाय में बने रहे और उन पूर्व कर्मचारियों को दंडित करना होगा जो कानून का पालन करते पाए गए और दिनांक 1 के नोटिस के अनुसार क्वार्टर खाली कर दिए। यहां तक कि

पूर्व कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच मामले को अलग करने का औचित्य उचित नहीं है। यदि शेष 318 पूर्व कर्मचारी क्वार्टर खाली नहीं करते और क्वार्टर में बने रहते।

अनाधिकृत कब्जा, भले ही प्रतिवादियों की ओर से मामले के अनुसार स्वीकार किया जाता है, फिर जो लोग बाद में अनाधिकृत कब्जे में रहे, उन्हें 200 वर्ग किलोमीटर में आवंटित किया जा सकता है। बिना किसी लागत के भूखंडों के यार्ड जैसे 134 पूर्व कर्मचारी जो अनधिकृत कब्जे में पाए गए। इसलिए, ऐसा नहीं है

200 वर्ग मीटर के आवंटन से इनकार करने का बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। 318 पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक को मुफ्त भूखंड के यार्ड, जो अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों को आवंटित किए गए थे जो अन्यथा समान रूप से स्थित थे।

[अनुच्छेद 9.7] [347-एफ-एच; 348-ए-डी] 2002 का आजम जाहि मिल वर्कर्स ए. एस. ओ. सी. का संशोधित वी. आर. एस.। वी. एनटीसी लिमिटेड।

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और निर्णय और आदेश

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित को बहाल किया जाता है और उत्तरदाताओं को विशेष रूप से प्रतिवादी Nos.2 और 3 को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे पूर्ववर्ती प्रतिवादी संख्या 4 के शेष 318 पूर्व कर्मचारियों के साथ अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों के बराबर व्यवहार करें और उन पर विचार करें जिन्हें 200 वर्ग कि. मी. आवंटित किया गया था। सरकारी आदेश No.463 दिनांक 27.06.2007 के अनुसार मुफ्त भूखंडों के यार्ड। हालांकि, यह देखा गया है कि केंद्र सरकार/राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पास उपलब्ध शेष भूमि में से अतिरिक्त भूखंड/भूमि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार और/या प्रत्यर्थी Nos.1 और 4/केंद्र सरकार से संपर्क करना केयूडीए के लिए खुला रहेगा। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स को

सीमित करना और उन पर व्यापक जनहित में विचार किया जा सकता है। [पैरा 10] [348-एफ-एच; 349-ए]

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य [1959] एस. सी. आर. 279; ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति (2019) 19 एस. सी. सी. 626-विशिष्ट।

रमण दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

भारतीय प्राधिकरण (1979) 3 एस. सी. सी. 489: [1979] 3 एससीआर 1014; डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एस. सी. सी. 305: [1983] 2 एससीआर 165; बस्तियों के निदेशक, ए. पी. और अन्य बनाम एम. आर. अप्पाराव और अन्र (2002) 4 एस. सी. सी. 638: [2002] 2 एससीआर 661; लालाराम और अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण और एक अन्य (2016) 11 एससीसी 31: [2015] 14 एससीआर 403; ग्रेटर का नगर निगम

मुंबई और अन्य बनाम रफिकुन्निसा एम. खलीफा (मृत) अपने कानूनी उत्तराधिकारी मोहम्मद के माध्यम से। मुकीन कुरैशी और अन्र। (2019) 5 एससीसी 119 [2019] 3 एससीआर

1036 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1979] 3 एससीआर 1014

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.9

[1983] 2 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पैरा 4.9

[2002] 2 एससीआर 661

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.6

[2015] 14 एससीआर 403

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.6

[2019] 3 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 5.6

[2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1959] एससीआर 279

प्रतिष्ठित

पैरा 9.5

(2019) 19 एस. सी. सी. 626

प्रतिष्ठित

पैरा 9.6

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 6260

6261 2021 से।

उच्च न्यायालय के 19.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की लिखित अपील Nos.427 और 431 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए।

सुश्री नित्या रामकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शादान फरासत, चिकुड्डू

प्रभाकर, विनोत्ना विंजम, भरत गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मयूरी

रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, सुश्री पूर्व वली, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी मेसर्स वेंकट पलवई लॉ के लिए

एसोसिएट्स, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फाइनल से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

2016 की रिट अपील Nos.427 और 2016 की 431 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.02.2020 का निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी सं. 1 और 2 इसमें-राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (इसके बाद "एन. टी. सी". के रूप में संदर्भित) और काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण, वारंगल (इसके बाद "के. यू. डी. ए". के रूप में संदर्भित) और 2007 की रिट याचिका No.26642 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है, मूल रिट याचिकाकर्ता-आजम जाही मिल श्रमिक संघ की 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (इसके बाद "श्रमिक संघ" के रूप में संदर्भित) ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

2.1 कि, मूल रिट याचिकाकर्ता के सभी सदस्य-श्रमिक

उक्त मिल को वर्ष 2002 में बंद कर दिया गया था। कि, मिल में लगभग 452 कर्मचारियों ने 20 से अधिक वर्षों तक काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दौरान सेवा की अवधि में, मिल में काम करने वाले सभी श्रमिक/कर्मचारी 2002 के आज़म जाहि मिल वर्कर्स एसोसी के संशोधित वीआरएस थे।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

मिल द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले आवंटित कर्मचारी आवास। कि, श्रमिक संघ के सदस्यों और मिल के अन्य कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों ने 2002 की संशोधित स्वैच्छिक योजना के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। इस स्तर पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में कर्मचारी स्वेच्छा से एक दिन यानी 31.08.2002 पर सेवानिवृत्त हुए। कि, श्रमिक संघ के सदस्यों सहित सभी कर्मचारियों को अधिसूचना दिनांक 17.07.1986 के माध्यम से क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया था

जो संबंधित सदस्यों/कर्मचारियों के संबंधित व्यवसायों में थे। उक्त सूचना में यह कहा गया था कि जिन क्वार्टरों में कर्मचारी रह रहे थे, वे जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे और मानव निवास के लिए अयोग्य हो गए थे। लगभग 318 कर्मचारियों सहित

श्रमिक संघ के सदस्यों को क्वार्टरों से जबरन बेदखल कर दिया गया। इसके बाद, मिल के प्रबंधन ने सभी को ध्वस्त कर दिया।

318 कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर खाली/बेदखल किए गए। हालांकि, कुछ कर्मचारी जो संख्या में लगभग 134 थे, दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस की सेवा के बावजूद अपने-अपने क्वार्टरों में बने रहे

उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिए। इस बीच, मिल ने मिल को बंद करने के लिए 30.05.2002 दिनांकित एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त पर

आवेदन, कार्यवाही श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी जिसमें

संघ के प्रबंधन और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सुनवाई के दौरान संघ के प्रतिनिधियों की ओर से संबंधित श्रमिकों को उचित दरों पर आवास आवंटित करने का भी अनुरोध किया गया था। उपरोक्त पर, प्रबंधन की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि आवासों को आवंटित करने का मुद्दा/अनुरोध प्रबंधन द्वारा विचाराधीन है। अधिसूचना दिनांक 11.09.2002 के माध्यम से, सरकार भारत के श्रम मंत्रालय ने मिल को बंद करने की अनुमति दी। इसके बाद, एन. टी. सी. ने मिल की मशीनरी और बुनियादी ढांचे को बेच दिया और के. यू. डी. ए. को 01.03.2007 पर 215 एकड़ में से एकर 117.20 गुंथा आवंटित किया। मिल के स्वामित्व वाली भूमि का एक हिस्सा आवास बोर्ड, केयूडीए और अन्य संस्थानों को बेच दिया गया था।

2.2 कि, आवंटन के बाद, एन. टी. सी./मिल के स्वामित्व वाली 11 एकड़ भूमि बची रही। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद केयूडीए ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया

राज्य 200 वर्ग मीटर के आवास स्थल आवंटित करेगा। मिल के 134 कर्मचारियों में से प्रत्येक को, जो 17.07.1986 दिनांकित नोटिस की सेवा के बावजूद अपने-अपने क्वार्टरों में बने रहे और उनसे क्वार्टरों को खाली करने की मांग की। राज्य सरकार ने जी. ओ. No.463 दिनांक 27.06.2007 के माध्यम से स्वीकार किया

के. यू. डी. ए. का 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने का प्रस्ताव। यार्ड्स ने पुनर्वास और कल्याणकारी उपाय के रूप में पूर्ववर्ती मिल के 134 पूर्व कर्मचारियों में से प्रत्येक को मुफ्त में भूखंड विकसित किया। उसके बाद, 318 सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने [2021] 11 एस. सी. आर. भी लिया।

और खिला, वारंगल। लक्ष्मीपुरा, वारंगल के वी. आर. ओ. ने तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि लक्ष्मीपुरा गाँव में स्थित 5 एकड़ तक की भूमि और गाँव खिला, वारंगल में स्थित 5.24 एकड़ तक की भूमि, कुल क्षेत्रफल एकड़ 10.24 गुंथास के कब्जे में है और इसलिए उक्त भूमि घर आवंटित करने में सक्षम है। श्रमिक संघ के सदस्यों को, जो 318 कर्मचारी रहे हैं, भूखंड आवंटित नहीं किए गए हैं। इसके बाद, 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने के लिए आगे कुछ नहीं किया गया। मिल के शेष 318 पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों को, जिन्होंने 200 वर्ग कि. मी. आवंटित किए गए अन्य 134

श्रमिकों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, विकसित भूखंडों के यार्ड मुफ्त दिए गए। विकसित भूखंडों के यार्ड मुफ्त में और इसलिए, श्रमिकों को

एसोसिएशन ने 2007 की रिट याचिका No.26642 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। कि, एक विस्तृत और तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी और प्रत्यर्थियों को 200 वर्ग मीटर के आवास स्थल आवंटित करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि वे मिल के अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों के बराबर हैं, श्रमिक संघ के सभी योग्य 318 सदस्यों में से प्रत्येक को यह पुरस्कार दिया जाता है कि जिन्हें पहले से ही 200 वर्ग मीटर की सीमा के लिए आवास आवंटित किए गए थे। प्रत्येक यार्ड G.O.No.463 दिनांकित 26.07.2007 के अनुसार। 2.3 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, एन. टी. सी. के साथ-साथ के. यू. डी. ए. ने डिवीजन बेंच के समक्ष और विवादित द्वारा रिट अपील दायर की।

सामान्य निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिया है उक्त रिट अपील की अनुमति दी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया और रद्द कर दिया।

अतः, वर्तमान अपीलें। 3.
सुश्री नित्या रामकृष्णन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं

अपीलार्थी की ओर से श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के. यू. डी. ए. की ओर से पेश हुए और सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान ए. एस. जी. एन. टी. सी. और भारत संघ की ओर से पेश हुईं। 4. अपीलार्थी-श्रमिक संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रामकृष्णन ने आजम जाह मिल वर्कर्स ए. एस. ओ. सी. के 2002 के मॉडिफाइड वी. आर. एस. को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश को रद्द करने और इसके परिणामस्वरूप श्रमिक संघ द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।

4.1 यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रामकृष्णन द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सराहना नहीं की है और

इस तथ्य पर विचार किया कि केयूडीए के साथ-साथ एनटीसी राज्य हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के लिए उत्तरदायी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत उपकरण और इसलिए, उन सभी को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आचरण करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक ही कहा और अभिनिर्धारित किया कि शेष 318

श्रमिकों को 200 भूखंड आवंटित नहीं करना भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया है कि शेष 318 कर्मचारी अन्य 134 श्रमिकों के बराबर थे जिन्हें 200 Sq.Yards भूखंड मुफ्त में आवंटित किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले 134 श्रमिकों और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले शेष 318 श्रमिकों के साथ-साथ 200 वर्ग कि. मी. आवंटित किए गए अन्य 134 श्रमिकों के बीच कोई अंतर नहीं है। यार्ड प्लॉट मुफ्त में।

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में 318 श्रमिकों को मजबूर किया गया था और /

या दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस के अनुसार क्वार्टर खाली करने के लिए मजबूर किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस के बावजूद, 134 श्रमिकों/कर्मचारियों ने क्वार्टर खाली नहीं किए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि 318 शेष श्रमिकों ने दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस के अनुसार अपनी इच्छा से क्वार्टर खाली किए, केवल इसलिए कि अन्य 134 कर्मचारी, जिन्होंने दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस की सेवा के बावजूद क्वार्टर खाली नहीं किए थे, उन्हें कानून का पालन करने वाले श्रमिकों की तुलना में उच्च स्थान पर नहीं कहा जा सकता है जिन्होंने दिनांकित 17.07.1986 के नोटिस के अनुसार क्वार्टर खाली किए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए समकक्षों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मूल उत्तरदाताओं-उत्तरदाताओं को 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का सही निर्देश दिया। यार्ड के भूखंड शेष 318 श्रमिकों को भी दिए जाते हैं।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि 318 श्रमिकों ने क्वार्टर खाली नहीं किए होते, तो उन्हें 134 श्रमिकों के बराबर 200 प्लॉट भी आवंटित किए जाते, जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। यार्ड प्लॉट मुफ्त में।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया है, 318 शेष श्रमिकों के बीच कोई अंतर नहीं था

और 134 कामगार जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। यार्ड प्लॉट्स।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 200 वर्ग कि. मी. आवंटित नहीं किया गया है। शेष 318 कामगारों को यार्ड प्लॉट देना उन्हें दंडित करने के समान होगा। बेदखली नोटिस का पालन करते हुए 134 श्रमिकों को इसकी अवहेलना करने के लिए पुरस्कृत करना जो स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि भूखंडों के आवंटन का उद्देश्य श्रमिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में शुरू से ही जब कार्यवाही की गई थी

श्रम मंत्रालय के समक्ष, मिल को बंद करने के अनुरोध पर विचार करते हुए, श्रमिकों की ओर से पहले से ही उन्हें रियायती दरों पर आवास आवंटित करने की मांग की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद के. यू. डी. ए. के उपाध्यक्ष ने भी श्रमिकों के पुनर्वास और कल्याण के आधार पर 134 श्रमिकों को 200 भूखंड आवंटित करने का अनुरोध किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष और वह भी जवाब में हलफनामे में, के. यू. डी. ए. ने एक मामला सामने लाया कि अतिक्रमणकारियों के साथ मुकदमेबाजी से बचने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। यार्ड ने उन 134 श्रमिकों को प्लॉट दिए जो क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में बने रहे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब के. यू. डी. ए. द्वारा 134 श्रमिकों को 200 Sq.Yards भूखंडों के आवंटन के लिए प्रस्ताव दिया गया था, तो यह दलील का आधार नहीं था। 4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी अतिक्रमणकारियों के साथ मुकदमेबाजी से बचने के लिए भूखंडों को मुफ्त में आवंटित करने के उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं था और इस तरह का अंतर बिल्कुल अप्रासंगिक है, विशेष रूप से जब केयूडीए के प्रारंभिक मामले के अनुसार भूखंडों को कल्याण और पुनर्वास के लिए आवंटित किया गया था।

4.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य 318 श्रमिकों ने न केवल अपनी आजीविका खो दी, बल्कि एक निवास स्थान भी खो दिया और इसलिए, वास्तव में उन्हें कल्याण और पुनर्वास उपायों की बहुत अधिक आवश्यकता थी।

4.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 318 को भूमि के विकसित भूखंड प्रदान करने के लिए राज्य के साधनों वाले उत्तरदाताओं को आदेश जारी किया जा सकता है।

134 पूर्व कर्मचारियों के साथ समानता पर पूर्व कर्मचारी, उन्हें लागू करने के लिए राज्य के भेदभाव और दायित्व के खिलाफ संवैधानिक अधिकार और राज्य की उदारता के वितरण में निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण होने के लिए इसके साधन। रमन दयराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोडिफाइड वी. आर. एस. ऑफ 2002 ऑफ आज़म जाहि मिल वर्कर्स ए. एस. ओ. सी. के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

भारतीय प्राधिकरण, (1979) 3 एस. सी. सी. 489 (पारस 11 और 12) और

डी. एस. नाका बनाम का मामला। भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305 (पैरा 36 और 42)।

4.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 134 श्रमिकों को भी बिना किसी कानूनी अधिकार के और बिना किसी कानूनी संबंध के भूखंड आवंटित किए गए थे

या के. यू. डी. ए. और राज्य के साथ अनुबंध की गोपनीयता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए अन्य 134 श्रमिकों को जो लाभ दिया गया था, उसे शेष 318 श्रमिकों को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केयूडीए और राज्य के साथ कोई कानूनी संबंध या अनुबंध की गोपनीयता नहीं है।

सरकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार समानता के अधिकार की गारंटी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत शेष 318 श्रमिकों के लिए एक अधिकार उपलब्ध है जो लागू करने योग्य है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए

अपील करते हैं। वर्तमान अपीलों का के. यू. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने जोरदार विरोध किया है।

5.1 के. यू. डी. ए. की ओर से यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा उचित रूप से देखा गया है, एक अनिवार्य रिट।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन भूमि एक निजी भूमि है और सरकारी भूमि नहीं है, श्रमिक संघ/श्रमिक संघ के सदस्यों को भूमि आवंटित करने के लिए सीधे जारी नहीं की जा सकती थी।

5.2 के. यू. डी. ए. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गिरि ने जोर देकर कहा कि के. यू. डी. ए. एक स्वतंत्र संगठन है। संगठन और के. यू. डी. ए. ने पूरी बिक्री के भुगतान पर एन. टी. सी./मिल से संबंधित भूमि खरीदी और जैसा कि यह पाया गया कि 134

कर्मचारियों ने क्वार्टरों पर कब्जा करना जारी रखा और इसलिए, केयूडीए के लिए आवंटित/खरीदी गई भूमि को विकसित करना संभव नहीं था और इसलिए, किसी भी मुकदमेबाजी से बचने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। के. यू. डी. ए. को आवंटित 135.33 एकड़ भूमि में से मुफ्त भूखंड के यार्ड। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक शेष 318 पूर्व कर्मचारियों का संबंध है, उन्होंने पहले ही क्वार्टर खाली कर दिए थे और इसलिए, उनके पास क्वार्टर नहीं थे और इसलिए, उनके मामलों की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती है जो क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में बने रहे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को उन 134 श्रमिकों के बराबर नहीं कहा जा सकता है जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। 11 एस. सी. आर. मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो कब्जे में हैं और क्वार्टरों के कब्जे में हैं और उन्हें हटाए बिना और/या [2021] के बिना।

उनके साथ विवाद का निपटारा करना केयूडीए के लिए केयूडीए को अधिग्रहित/आवंटित भूमि का विकास करना संभव नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को सही ढंग से खारिज कर दिया है और रिट याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

5.3 के. यू. डी. ए. की ओर से पेश विद्वान वकील श्री गिरि ने आगे कहा कि अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी।

और/या के. यू. डी. ए./राज्य और मिल के पूर्व कर्मचारियों/श्रमिकों के साथ/उनके बीच कोई संबंध। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए केयूडीए पूर्व श्रमिकों को मुफ्त में भूखंड आवंटित करने के लिए बाध्य नहीं था। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि इसलिए मिल के पूर्व श्रमिकों/कर्मचारियों के पक्ष में 200 वर्ग किलोमीटर प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं था। के. यू. डी. ए. से मुफ्त यार्ड प्लॉट। 5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 134 पूर्व कर्मचारियों/कर्मचारियों को क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में पाया गया था और इसलिए, यह पाया गया कि उन्हें बेदखल किए बिना और/या उन्हें हटाए बिना और/या उनके साथ विवाद का समाधान किए बिना केयूडीए के लिए अधिग्रहित भूमि का विकास करना संभव नहीं होगा और इसलिए, यह उक्त मजबूरी के तहत था कि 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था। उन 134 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त भूखंडों के यार्ड, जो क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में बने रहे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

318 पूर्व कर्मचारियों के पक्ष में किसी भी निहित अधिकार के अभाव में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई अनिवार्य रिट जारी नहीं की जा सकती थी और

इसलिए, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है।

5.5 श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई राहत शेष 318 पूर्व कर्मचारियों के लिए हकदार है, तो यह केवल एन. टी. सी. और मिल और/या एन. टी. सी. के स्वामित्व वाली 11 एकड़ की शेष भूमि में से हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

हालांकि किसी भी भूखंड को आवंटित करने के लिए केयूडीए का कोई दायित्व नहीं होगा। के. यू. डी. ए. द्वारा आवंटित/खरीदी गई भूमि से पूर्व कर्मचारियों को निःशुल्क।

5.6 प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका-स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष श्रमिक संघ विचारणीय नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका में यह अनुरोध किया गया था कि आदेश का आदेश जारी किया जाए

उत्तरदाताओं को 200 वर्ग मीटर की सीमा तक भूमि आवंटित करने के लिए।

ए. एस. एस. ओ. सी. के 2002 के मोडिफाइड वी. आर. एस. के प्रत्येक सदस्य को यार्ड। वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

श्रमिक संघ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सामान्य कानून है कि अनिवार्य लिखित आदेश केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार हो।

उस पक्ष द्वारा अधिकार और कानूनी कर्तव्य जिसके खिलाफ परमादेश की मांग की जाती है। निपटान निदेशक, ए. पी. के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा जाता है। एंड ओआरएस बनाम एम. आर. अप्पाराव और अन्र, (2002) 4 एस. सी. सी. 638; लालाराम और अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण और एक अन्य, (2016) 11 एस. सी. सी. 31 और ग्रेटर मुंबई नगर निगम और अन्य बनाम रफिकुन्निसा एम. खलीफा (मृत)

अपने कानूनी उत्तराधिकारी मोहम्मद के माध्यम से। मुकीन कुरैशी और अन्र। , (2019) 5 एससीसी 119।

5.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता संघ ने जी. ओ. No.463 दिनांक 27.06.2007 के आधार पर अधिकार का दावा किया है। इसे प्रस्तुत किया जाता है। कि उक्त सरकारी आदेश के तहत आंध्र प्रदेश राज्य ने के. यू. डी. ए. को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने की मंजूरी दी। चौथे प्रत्यर्थी के 134 पूर्व कर्मचारियों को भूमि के यार्ड। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह भूमि जहाँ

4 केंद्र सरकार ने बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के तहत प्रतिवादी को अपने नियंत्रण में ले लिया था। कि, उसके बाद, केंद्रीय द्वारा गठित संपत्ति बिक्री समिति सरकार ने आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड, के. यू. डी. ए. और अन्य को जमीन का अलग-अलग हिस्सा बेच दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केयूडीए को क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य के साथ एक क़ानून के तहत शामिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. यू. डी. ए. द्वारा यह पाया गया कि 134 व्यक्ति भूमि के एक हिस्से पर अनधिकृत कब्जे में थे।

उनके द्वारा खरीदा गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केयूडीए और उक्त 134 व्यक्तियों के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था। दोनों के बीच कोई अन्य संबंध नहीं था जैसा कि किसी भी कानून द्वारा प्रदान किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 134 व्यक्तियों को कोई भी भूमि आवंटित करने के लिए केयूडीए पर किसी भी समय कोई कानूनी दायित्व नहीं लगाया गया था। कि, उनका एकमात्र अधिकार यह था कि वे चौथे प्रतिवादी मिल्स के पूर्व कर्मचारी थे और उनके पास था

वर्ष 2002 में स्वेच्छा से मिल्स की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी श्रमिक संघ के पास यह भी कोई मामला नहीं है कि के. यू. डी. ए. द्वारा खरीदी गई भूमि के साथ कोई कानूनी दायित्व जुड़ा हुआ था जिससे कोई भी व्यक्ति या तो 134 व्यक्ति जो भूमि पर अनधिकृत कब्जे में बने रहे या श्रमिक संघ के 318 सदस्य उक्त भूमि के खिलाफ कोई कानूनी अधिकार लागू कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी समय भूमि के साथ कोई वाचा या दायित्व नहीं था। यह प्रस्तुत

किया जाता है कि वास्तव में बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अनुसार, केंद्र सरकार में भूमि का निहित होना किसी भी न्यास/दायित्व/बंधक/शुल्क [2021] 11 एस. सी. आर. से मुक्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

/ ग्रहणाधिकार और इसे प्रभावित करने वाले अन्य सभी बोझ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एक संवैधानिक न्यायालय के लिए अनिवार्य रिट जारी करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तों की आवश्यकता होती है। अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्ति के साथ एक कानूनी अधिकार और उस व्यक्ति पर लगाया गया कानूनी कर्तव्य/दायित्व जिसके खिलाफ राहत मांगी गई है, दोनों तत्काल मामले में अनुपस्थित हैं।

5.8 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि समझदार अंतर को भी इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामे के माध्यम से समझाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य, 1959 एस. सी. आर. 279 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि हलफनामों पर गौर नहीं किया जा सकता है और अंतर केवल अधिसूचना से ही सामने आना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जी. ओ. No.463 से पता चलता है कि विकास की तात्कालिकता थी। यह है। प्रस्तुत किया कि के. यू. डी. ए. को मुकदमेबाजी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी जो उसके वाणिज्यिक हित के विपरीत थी और उस उद्देश्य को विफल कर देगी जिसके लिए भूमि खरीदी गई थी अर्थात वारंगल शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए

134 व्यक्तियों-पूर्व कर्मचारियों के पक्ष में आवंटन निपटान की प्रकृति में भी था, ताकि विकास का काम तेज गति से किया जा सके। 5.9 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केयूडीए तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले में अन्य बातों के साथ-साथ विकास गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तेलंगाना शहरी क्षेत्र (विकास) अधिनियम, 1975 के तहत बनाया गया एक प्राधिकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार श्रमिक संघ के सदस्यों का दूसरे प्रतिवादी के साथ कोई संबंध नहीं है, नियोक्ता-कर्मचारी की तो बात ही छोड़िए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए द्वितीय प्रतिवादी (के. यू. डी. ए.) पर 200 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटित करने का कोई दायित्व नहीं है। इसमें चौथे प्रत्यर्थी के कर्मचारियों को प्रत्येक यार्ड।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि वैधानिक प्राधिकारी होने के नाते भी, दूसरे प्रतिवादी की परिसंपत्तियों का उपयोग केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है।

उस संबंध में विचाराधीन कानून द्वारा निर्धारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मिलों के 318 पूर्व कर्मचारियों को भूमि के बड़े हिस्से का आवंटन एक निर्धारित उद्देश्य नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन जी. ओ. No.463 का औचित्य केवल दूसरे प्रतिवादी द्वारा की गई भूमि के विकास के साथ था, जब इसकी खरीद मिलों के पूर्व 134 पूर्व कर्मचारियों द्वारा लगातार अनधिकृत कब्जे से गंभीर रूप से बाधित हुई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त G.O.No.463 स्पष्ट रूप से उक्त 134 व्यक्तियों के किसी भी कानूनी अधिकार की मान्यता शामिल नहीं है।

ए. एस. ओ. सी. के 2002 के आधुनिक वी. आर. एस., ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

5.10 श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह सच है कि 200 वर्ग किलोमीटर का आवंटन किया गया है। वर्ष 2007 में 134 व्यक्तियों के पक्ष में भूखंड के यार्ड केवल इसलिए बने क्योंकि उक्त 134 व्यक्तियों ने क्वार्टर खाली करने से इनकार कर दिया था और अनधिकृत कब्जे में रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि आवंटन किसी भी अनधिकृत व्यवसाय की मान्यता में नहीं था और निश्चित रूप से केयूडीए की ओर से किसी भी कानूनी दायित्व के निर्वहन में नहीं था। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि यह केवल भूमि के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के आधार पर था, यही कारण था कि के. यू. डी. ए. को जल्द से जल्द भूमि के शेष हिस्से पर बिना किसी रोक-टोक और पूर्ण रूप से बिना किसी बाधा के कब्जा करना पड़ा।

5.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह मानते हुए कि जी. ओ. No.463 के तहत आवंटन गलत था और एक गलती थी, अपीलार्थी संघ के कहने पर इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य दावे के लिए आधार की पेशकश नहीं की जा सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति, (2019) 19 एस. सी. सी. 626 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, दो गलतियां एक अधिकार नहीं बनाती हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

अपीलें 6. एन. टी. सी. की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने भी वर्तमान अपीलों का विरोध किया है।

भारत। सुश्री भाटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि बी. आई. एफ. आर. द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, मिल से संबंधित पूरी भूमि एकड़ 201.02 सेंट्स को भारत सरकार द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति द्वारा बिक्री के लिए रखा गया था और 23.01.2004 पर बिक्री को मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि तदनुसार एकड़ 65.69 सेंट्स को मापने वाली भूमि आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड को और एकड़ 135.33 सेंट्स को केयूडीए को बेच दिया गया था। यह प्रस्तुत

किया जाता है कि इसके बाद समिति को बी. आई. एफ. आर. आदेश दिनांक 20.08.2014 के माध्यम से भंग कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 3 के अनुसार, आजम जाही मिल्स का अधिकार, स्वामित्व और हित केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और पूरी तरह से निहित होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद एन. टी. सी. और मिल्स केवल केंद्र सरकार की ओर से आजम जाही मिल्स और इसकी संपत्तियों के संरक्षक हैं जो पूर्ण मालिक हैं।

6.1 सुश्री भाटी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. यू. डी. ए. को बेचे गए कुल एकड़ 135.33 सेंट्स में से केवल एकड़ 117.20 सेंट्स [2021] 11 एस. सी. आर. के लिए उपलब्ध थे।

एकड़ 14.88 सेंट्स के रूप में पंजीकरण अतिक्रमण के तहत था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आज की तारीख तक, केंद्र सरकार की ओर से संरक्षक के रूप में केवल लगभग 5 एकड़ भूमि मिल के कब्जे में है जो उक्त संपत्तियों का पूर्ण मालिक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे कि OM संख्या 8 (18)/2020-E-II (A) दिनांक 28.03.2011 के अनुसार

आवंटन के लिए अनुमति/मंजूरी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार 200 वर्ग कि. मी. मिलों के 134 पूर्व श्रमिकों को विकसित भूखंडों के यार्ड, जिन्होंने विषय भूमि का अतिक्रमण किया था और उक्त भूमि को खाली नहीं कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुडा के उपाध्यक्ष के अनुरोध के आधार पर, सरकार ने कुडा को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने की अनुमति दी। मिल्स के 134 पूर्व श्रमिकों में से प्रत्येक को यार्ड। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 200 वर्ग कि. मी.। भूखंडों के यार्ड न तो एन. टी. सी./मिल/केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे और न ही वे के. यू. डी. ए. के 134 पूर्व कर्मचारियों के बीच व्यवस्था के पक्षकार थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलकर्ता एनटीसी/मिल्स/केंद्र सरकार से भूमि के आवंटन की मांग नहीं कर सकता है।

6.3 सुश्री भाटी, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में मिल के सभी पूर्व कर्मचारियों ने 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली थी और उन्हें 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अर्जित सभी लाभों का भुगतान वर्ष 2002 में ही किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए मिलों के पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने और मंत्रालय से उचित समापन आदेश प्राप्त करने के बाद मिल बंद होने के बाद, उसके बाद कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों और एन. टी. सी./केंद्र सरकार/मिलों के बीच कोई संबंध जारी नहीं है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलकर्ता केंद्र सरकार/एन. टी. सी./मिलों के खिलाफ किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।

6.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मुफ्त भूखंडों का आवंटन कभी भी 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का हिस्सा नहीं था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी पूर्व कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक का विकल्प चुना था 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति पूरी तरह से गोल्डन हैंडशेक के माध्यम से दिए जाने वाले लाभों से अवगत थी, जिसमें मुफ्त भूखंडों का आवंटन शामिल नहीं था।

ए. एस. ओ. सी. के 2002 के आधुनिक वी. आर. एस., ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. के ए. एस. ओ. सी. वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

6.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 200 वर्ग कि. मी. यार्ड के भूखंड बन गए

मुकदमे की लागत से बचने के लिए 134 पूर्व कर्मचारियों को आवंटित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में केंद्र सरकार/एन. टी. सी./मिल्स का के. यू. डी. ए. द्वारा लिए गए निर्णय से कोई लेना-देना नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एन. टी. सी. द्वारा दायर अपील को उचित रूप से स्वीकार कर लिया है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है और परिणामस्वरूप रिट याचिका को सही तरीके से खारिज कर दिया है।

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया

लंबाई। 7.1 प्रत्यर्थी संख्या 4-मिल्स के 318 पूर्व कर्मचारियों के लिए और उनकी ओर से अपीलार्थी श्रमिक संघ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

और उन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित करने की प्रार्थना की। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के अन्य 134 कर्मचारियों के बराबर मुफ्त भूखंडों के यार्ड।

पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 के 318 पूर्व कर्मचारियों की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि वे समान रूप से 134 पूर्व कर्मचारियों के साथ स्थित हैं।

पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 के कर्मचारी क्योंकि दोनों वर्ग (एक वर्ग में 318 कर्मचारी और दूसरा वर्ग में 134 कर्मचारी) समान रूप से स्थित हैं; दोनों वर्गों के कर्मचारी पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के कर्मचारी थे; कि उन सभी ने 2002 की संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली; सभी समान रूप से संशोधित स्वैच्छिक योजना का लाभ देने में स्थित थे; सभी को क्वार्टर आवंटित किए गए थे और क्वार्टरों में रह रहे थे। यह मामले की ओर से था

कर्मचारियों में अंतर केवल इतना था कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों के रूप में, उन्होंने क्वार्टरों को खाली करने के लिए 17.07.1986 दिनांकित नोटिस के साथ क्वार्टरों को खाली कर दिया और उन 134 पूर्व कर्मचारियों ने, जो इसी तरह स्थित थे, दिनांकित 17.07.1986 नोटिस के बावजूद क्वार्टरों को खाली नहीं किया और वे अनधिकृत कब्जे में रहे। 318 पूर्व कर्मचारियों की ओर से यह भी मामला था कि जी. ओ. No.463 के अनुसार, उन सभी 134 पूर्व कर्मचारियों को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचने के लिए और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में मुफ्त भूखंडों के यार्ड। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया कि वे उन सभी 318 पूर्व कर्मचारियों के साथ 134 पूर्व कर्मचारियों के बराबर व्यवहार करें जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। भूखंडों के यार्ड मुफ्त में और उन्हें यह देखते हुए तदनुसार आवंटित करना कि समान 200 वर्ग किलोमीटर का आवंटन नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूखंडों के यार्ड शेष कर्मचारियों-318 पूर्व कर्मचारियों के लिए निःशुल्क

8. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल पूछा जाता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 4 के शेष 318 पूर्व कर्मचारी हैं। मिल्स (पूर्ववर्ती) प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स (पूर्ववर्ती) के अन्य समान रूप से स्थित 134 पूर्व कर्मचारियों की तुलना में समानता और समानता का दावा कर सकते हैं और 200 वर्ग किलोमीटर का दावा कर सकते हैं। प्लॉट के यार्ड मुफ्त में? इस न्यायालय के विचार के लिए प्रस्तुत किए गए आनुषंगिक प्रश्न, जैसा कि संबंधित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा तर्क और सुझाव दिया गया है, इस प्रकार होंगे:

क्या रिट याचिका अपीलार्थी द्वारा पसंद की गई है

(1)

माँगी गई राहत के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष संगठन बनाए रखने योग्य था?

(2)

क्या अपीलार्थी के लिए कोई कानूनी अधिकार उपलब्ध था

राहत संगठन ने रिट याचिका में 200 वर्ग किलोमीटर के आवंटन की मांग की है। यार्ड के भूखंड?

क्या संविधान के अनुच्छेद 14 में कोई अनुप्रयोग है?

(3)

वर्तमान मामला?

(4)

क्या एफिडेविट में समझने योग्य अंतर का निर्धारण करना है संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से दायर की गई याचिका पर विचार किया जा सकता है और/या उस पर भरोसा किया जा सकता है?

(5)

क्या केयूडीए और/या के खिलाफ कोई राहत का दावा किया जा सकता है

एन. टी. सी./प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के खिलाफ?

9. हमने उपरोक्त मुद्दों पर संबंधित पक्षों की ओर से विस्तार से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पूर्ववर्ती प्रतिवादी संख्या 4 मिल्स के 318 पूर्व कर्मचारियों ने समानता के लिए प्रार्थना की और दावा किया कि

9.1 यह ध्यान देने योग्य है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि एक समय पर भी जैसा कि विद्वान वकील द्वारा स्वीकार किया गया था के. यू. डी. ए. ने कहा कि 318 पूर्व कर्मचारी जिन्हें 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित नहीं किया गया था। भूखंडों के यार्ड इसी तरह से आज़म जाहि मिल वर्कर्स एसोसी के 2002 के मॉडिफाइड वीआरएस के उन 134 पूर्व कर्मचारियों के लिए स्थित हैं।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स जिन्हें 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। जी. ओ. No.463 दिनांक 27.06.2007 के अनुमोदन के अनुसार प्लॉट के यार्ड मुफ्त। वे सभी प्रतिवादी संख्या 4 के साथ काम कर रहे थे। वे सभी पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 मिल्स के पूर्व कर्मचारी थे। वे सभी मिल्स द्वारा आवंटित क्वार्टरों में रह रहे थे। इन सभी ने वर्ष 2002 में संशोधित स्वैच्छिक योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन सभी को संशोधित स्वैच्छिक के तहत लाभ मिला

2002 की सेवानिवृत्ति योजना और उन सभी को 31.08.2002 पर और उससे मुक्त कर दिया गया था। हालांकि, 318 पूर्व कर्मचारियों ने समय-समय पर 17.07.1986 के नोटिस के अनुसार अपने क्वार्टर खाली किए। इस प्रकार, उन्होंने 17.07.1986 दिनांकित सूचना का पालन किया। हालाँकि, 17.07.1986 दिनांकित नोटिस के बावजूद और 31.08.2002 पर और उससे मुक्त होने के बाद भी, 134 पूर्व

कर्मचारियों ने क्वार्टरों को बनाए रखना जारी रखा और वे क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे में थे। इसलिए, 134 के बीच एकमात्र अंतर है।

पूर्व कर्मचारी और 318 पूर्व कर्मचारी यह थे कि 318 पूर्व कर्मचारी कानून का पालन करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने दिनांकित सूचना के अनुसार क्वार्टर खाली किए और 134 पूर्व कर्मचारी क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे में रहे।

इस स्तर पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उस समय जब

प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल को बंद करने की कार्यवाही श्रम मंत्रालय के समक्ष आयोजित की गई थी, संबंधित श्रमिकों को उचित दरों पर क्वार्टर आवंटित करने का अनुरोध किया गया था और बंद करने की मंजूरी देने वाले आदेश में, मिलों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि

आवासों का आवंटन प्रबंधन द्वारा विचाराधीन है। कि, बंद करने की अनुमति के बाद, केयूडीए द्वारा अधिग्रहण करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई थी

135.33 एकड़ की सीमा तक प्रत्यर्थी सं. 4 मिल्स की भूमि। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि के. यू. डी. ए. के उपाध्यक्ष ने दिनांक 28.12.2006 के पत्र/संचार के माध्यम से के. यू. डी. ए. को पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 मिल्स के 134 पूर्व कर्मचारियों को 200 [आई. डी. 2] भूखंड मुफ्त में आवंटित करने की अनुमति देने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पत्र में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचने के लिए और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में के. यू. डी. ए. के उपाध्यक्ष द्वारा के. यू. डी. ए. को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी सं. 4 मिल्स के 134 कर्मचारियों को निःशुल्क विकसित भूखंडों के यार्ड। जी. ओ. No.463 दिनांक 27.06.2007 के माध्यम से, राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित करने की अनुमति दे दी। पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के 134 कर्मचारियों में से प्रत्येक को विकसित भूखंडों के यार्ड मुफ्त दिए जाते हैं। किसी भी मुकदमेबाजी और/या [2021] 11 एस. सी. आर. से बचने के लिए दिनांकित 28.12.2006 के संचार/पत्र में और न ही जी. ओ. No.463 दिनांकित 27.06.2007 में आगे कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

200 वर्ग मीटर आवंटित नहीं किया गया। भूखंडों के यार्ड और 134 पूर्व कर्मचारी जिन्हें 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो समान रूप से थे स्थित और इस तरह उनके बीच कोई अंतर नहीं है। इसके विपरीत, 318 पूर्व कर्मचारियों को कानून का पालन करने वाले पूर्व कर्मचारी कहा जा सकता है जिन्होंने 1986 के बाद लेकिन 2002 से पहले क्वार्टर खाली कर दिए।

दिनांकित सूचना 17.07.1986। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 134 पूर्व कर्मचारियों को 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। मुफ्त भूखंडों के यार्ड क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे में थे और उन्होंने 17.07.1986 दिनांकित नोटिस के बावजूद और 31.08.2002 के बाद भी जब उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार की और राहत दी, तब भी क्वार्टर खाली नहीं किए। इसलिए, उन कर्मचारियों को भूखंड आवंटित करना जो अनधिकृत व्यवसाय में पाए गए थे, उनकी अवैधता और अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में रहने के लिए प्रीमियम देने के समान होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, क्योंकि दोनों वर्गों के कर्मचारी समान रूप से स्थित पाए जाते हैं, सिवाय इसके कि ऊपर देखे गए अंतर के, 318 पूर्व कर्मचारी जो समान रूप से उन 134 पूर्व कर्मचारियों के साथ स्थित थे जब समानता और समानता का दावा किया गया था, जैसे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायसंगत रूप से आदेश पत्र जारी किया और निर्देश दिया कि -

उत्तरदाताओं को उन सभी के साथ समान व्यवहार करने और 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने के लिए। जी. ओ. No.463 के अनुसार शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को भी भूखंडों के यार्ड।

9.2 उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुति विशेष रूप से

प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि अपीलकर्ता संघ-318 पूर्व कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है और प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता का अधिकार

समानता और समानता का दावा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निहित अधिकार है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में राज्य/राज्य साधनों के खिलाफ लागू करने योग्य है। हम नहीं पाते हैं

318 पूर्व कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना उन 134 पूर्व कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है जिन्हें 200 वर्ग कि. मी. आवंटित किया गया था। भूखंडों के यार्ड मुफ्त में। हम पाते हैं कि इस तरह से बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और इसलिए, जब बराबर लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, तो आजम जाहि मिल वर्कर्स एसोसी के 2002 के मोडिफाइड वीआरएस के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

संविधान और इसलिए, अपीलार्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में भी मांगी गई राहत के हकदार थे। 9.3 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यक्त मौलिक अधिकार से निकलती है। समानता एक निश्चित अवधारणा है।

समानता की अवधारणा की एक अंतर्निहित सीमा है जो संवैधानिक गारंटी की प्रकृति से उत्पन्न होती है। जो ऐसे ही हैं

परिस्थितियाँ समान व्यवहार के हकदार हैं। समानता के बीच है बराबर हैं। इसलिए वर्गीकरण को महत्वपूर्ण मतभेदों पर आधारित किया जाना चाहिए जो समूहों से बाहर रखे गए व्यक्तियों से एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों को अलग करते हैं और इस तरह के अंतर गुणों को न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए।

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, उससे संबंध।

किसी मामले में संविधान का अनुच्छेद 14 एक वैध वर्गीकरण की अनुमति दे सकता है। हालांकि, एक वर्गीकरण का पालन करना आवश्यक है

दो परीक्षणों को पूरा करें। सबसे पहले, विभेदक तर्क एक न्यायपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए और दूसरा, व्यक्तियों के एक समूह को दूसरे से अलग करने के विकल्प में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए। वर्तमान मामले में 134 कर्मचारियों को 200 Sq.Yards का नि:शुल्क आवंटन पूर्व कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई से बचने और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में किया गया था। जैसा कि यहाँ देखा गया है, उन 318 पूर्व कर्मचारियों को, जिन्हें 200 भूखंडों के मुफ्त आवंटन का लाभ देने से वंचित किया जाता है, समान रूप से 134 कर्मचारियों के साथ रखा जाता है, जिन्हें 200 भूखंड मुफ्त आवंटित किए जाते हैं। भूखंड आवंटित किए गए पूर्व कर्मचारियों के दूसरे वर्ग के साथ समान रूप से रखे गए पूर्व कर्मचारियों के एक वर्ग के साथ अलग व्यवहार प्रदान करने में कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है।

9.4 अब, जहाँ तक के. यू. डी. ए. की ओर से मामला है, अब इस न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे के रूप में कि किसी भी मुकदमे से बचने के लिए और

मुकदमे की लागत और शेष भूमि का खाली कब्जा प्राप्त करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया और 200 वर्ग मीटर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। 134 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो क्वार्टरों के कब्जे और कब्जे में पाए गए थे और इसलिए, 200 वर्ग मीटर आवंटित करने का एक वैध कारण था। 134 पूर्व कर्मचारियों के लिए भूखंडों के यार्ड और श्री राम कृष्ण डालमिया (सुप्रा) के मामले में निर्णय पर दी गई निर्भरता कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे पर विचार किया जा सकता है और/या संदर्भित किया जा सकता है, उपरोक्त आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इसके तथ्यों और परिस्थितियों में कोई सार नहीं है।

मामला। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुडा के उपाध्यक्ष द्वारा वर्ष 2007 में राज्य सरकार को 11 एस. सी. आर. आवंटित करने की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के प्रत्येक 134 पूर्व कर्मचारियों के लिए निःशुल्क भूखंड विकसित किए गए। इसलिए, 200 वर्ग कि. मी. का आवंटन। यार्ड्स ऑफ 134 पूर्व कर्मचारियों के लिए मुफ्त भूखंड पूर्व प्रतिवादी संख्या 4 मिल्स के पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास और कल्याण के उपाय के रूप में थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी, यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था कि उन 134 व्यक्तियों को 200 वर्ग मीटर आवंटित किया गया था। किसी भी मुकदमेबाजी और/या मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए मुफ्त भूखंडों के यार्ड जो अब इस न्यायालय के समक्ष पहली बार अनुरोध किया गया है। प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 की ओर से मामले को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पैराग्राफ 5 में निपटाया गया है जो नीचे दिया गया है:

एसी के एक क्षेत्र में कवर किए गए क्वार्टर। 117.00 भूमि के गुंटे। क्वार्टरों में रह रहे (134) श्रमिकों को भूखंडों के आवंटन को पुनर्वास के उपाय के रूप में माना गया था। और सरकार के साथ-साथ केयूडीए द्वारा कल्याण। इस मामले में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है।

कुडा ने 2002 का अलग-अलग वी. आर. एस. जमा किया था जो कि आज़म जाहि मिल वर्कर्स ए. एस. ओ. सी. का था। वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

केवल (134) श्रमिकों को भूखंडों के आवंटन के लिए सरकार को प्रस्ताव, क्योंकि वे अभी भी एन. टी. सी. से के. यू. डी. ए. द्वारा भूमि का भौतिक कब्जा लेने के समय क्वार्टरों में बने हुए थे। सरकार ने उन (134) कर्मचारियों को भूखंडों के आवंटन के आदेश जारी किए थे जो तब तक क्वार्टरों में रह रहे थे। यह प्रतिवादी याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को भूखंड आवंटित नहीं कर सकता है

रिट याचिका में निर्दिष्ट सरकारी आदेश। इस प्रतिवादी को दिनांकित 15.09.2007 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ।

हालाँकि, यह नहीं माना जाता है कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों का मामला (134) पूर्व कर्मचारियों के समान नहीं है, जो मौजूदा तिमाहियों में बने हुए थे, और क्योंकि उन्हें सरकारी आदेशों के अनुसार स्थानों का आवंटन किया गया था। याचिकाकर्ता संघ के सदस्य जो एक संशोधित स्वैच्छिक योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने क्वार्टर खाली कर दिए थे और पहले ही जगह छोड़ चुके थे। के. यू. डी. ए. द्वारा कब्जा लेने के समय, (134) पूर्व कर्मचारी केवल क्वार्टरों में रह रहे थे। प्रत्येक 200 वर्ग गज के मकान भूखंडों के आवंटन के प्रस्ताव पर उत्तरदाताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

और 3. इस प्रत्यर्थी और सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय के सिद्धांत के अनुसार (134) पूर्व कर्मचारियों के अलावा अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऐसा समान लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रत्यर्थी ने एन. टी. सी. से भूमि खरीदी है और विशेष रूप से केवल उन पूर्व कर्मचारियों को आवास स्थलों के आवंटन के लिए सहमति व्यक्त की थी जो उस समय तक क्वार्टरों में रह रहे थे। यह प्रतिवादी और सरकार याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को साइटों के आवंटन के लिए सहमत नहीं थे। इस प्रतिवादी ने

साइट और सेवा योजना को अपनाया था और इस पर बहुत खर्च किया था। सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, बिजली, उद्यान विकास आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान और सार्वजनिक खुली नीलामी में भूखंडों का निपटान। तीसरे प्रत्यर्थी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, किसी भी अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में भूखंड आवंटित करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों ने बहुत पहले क्वार्टर खाली कर दिए थे और वे कहीं और रह रहे हैं और वे 1 [2021] 11 एस. सी. आर. से इस प्रतिवादी द्वारा भूमि की खरीद के लिए योजना के प्रस्ताव के समय मिल क्वार्टर में नहीं रह रहे थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी और इसलिए, याचिकाकर्ता संघ के सदस्य अन्य (134) श्रमिकों के बराबर किसी भी आवास स्थल के आवंटन के लिए पात्र नहीं हैं। इस परियोजना को "जैसा है, जहां है" और "जैसा है, जो है" के आधार पर शुरू किया गया था। याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को भूखंडों की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है

और इस प्रतिवादी का परियोजना सौदे के अनुसार याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को भूखंड आवंटित करने का कोई दायित्व नहीं है। द. याचिकाकर्ता संघ के सदस्य पुनः प्रवेश नहीं कर सकते हैं

आवास स्थलों की तस्वीर लें और आवंटन की मांग करें। के अनुसार सरकारी आदेश, शहर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने के लिए परियोजना को अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए, यह

प्रत्यर्थी बिक्री के माध्यम से धन जुटाने के लिए बाध्य था

भूखंड बेचकर आय। भले ही कोई भी भूमि उपलब्ध हो,

यह के. यू. डी. ए. और शहर के विकास के लिए है और याचिकाकर्ताओं को (134) सदस्यों के बराबर निःशुल्क आवंटन के लिए आरक्षित नहीं है। इस प्रतिवादी की भूमि को याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

इसलिए, रिट याचिका खारिज की जा सकती है।

9.5 उपरोक्त से और यहां तक कि खंड पीठ के समक्ष अपील के आधारों से भी, प्रत्यर्थियों ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि 318 पूर्व कर्मचारियों का मामला 134 पूर्व कर्मचारियों के मामले से तुलनीय नहीं है क्योंकि 318 पूर्व कर्मचारियों ने क्वार्टर खाली कर दिए थे और वे

कब्जे में नहीं थे और केवल 134 पूर्व कर्मचारियों के पास क्वार्टरों का कब्जा था। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार, काउंटर में

हलफनामे में, अब प्रतिवादी केयूडीए और अन्य की ओर से यह मामला है कि किसी भी मुकदमेबाजी और/या मुकदमेबाजी की लागत से बचने के लिए, 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था। भूखंडों के यार्ड मुफ्त में। इसलिए उत्तरदाताओं ने

उनके मामले में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो कि पहले उनका मामला भी नहीं था। उस समय जब उन्होंने उन्हें 200 वर्ग किलोमीटर आवंटित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था। 134 पूर्व कर्मचारियों को मुफ्त भूखंडों के यार्ड और यहां तक कि यह मामला जी. ओ. No.463 दिनांक 27.06.2007 में इस तरह से नहीं कहा गया था और यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी ऐसा मामला नहीं था। इसलिए, उत्तरदाताओं को विशेष रूप से प्रतिवादी Nos.2 और 3 को इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर करके अपने मामले में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

पहली बार। इसलिए, श्री राम कृष्ण डालमिया (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर प्रतिवादी Nos.2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। अन्यथा भी, श्री राम कृष्ण डालमिया के मामले में इस न्यायालय के पूरे निर्णय को देखने के बाद, 2002 के आज़म जाहि मिल वर्कर्स ए. एस. ओ. सी. के वी. आर. एस.

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

(ऊपर), हमारी राय है कि उक्त निर्णय प्रतिवादी Nos.2 और 3 के लिए किसी भी सहायता का नहीं होगा। यह वर्गीकरण के संबंध में मामला था और केंद्र सरकार ने हलफनामे के माध्यम से वर्गीकरण के आधार को उचित ठहराने का प्रयास किया और यह रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मामला था कि वर्गीकरण का आधार अधिसूचना के सामने ही दिखाई देना चाहिए और किसी भी बाहरी मामले का संदर्भ नहीं दिया जा सकता है और यह माना जाता है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट मामलों के साथ-साथ हलफनामे के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में लाए गए मामलों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपीलकर्ताओं और/या उनकी कंपनियों को स्वयं एक वर्ग के रूप में मानने के लिए कोई वैध आधार था। हम इस बात की सराहना करने में विफल हैं कि उक्त निर्णय मामले के तथ्यों पर कैसे लागू होगा।

9.6 अब, जहां तक अनूप कुमार सेनापति (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी की ओर से यह निवेदन कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता की कोई अवधारणा नहीं है और यह निवेदन कि केवल इसलिए कि उक्त 138 व्यक्तियों को 200 भूमि आवंटित करने में उत्तरदाताओं की ओर से कोई गलती हुई थी और इसलिए, अपीलकर्ता समानता का दावा नहीं कर सकते हैं, फिर से इसका कोई आधार नहीं है। शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उत्तरदाताओं की ओर से यह मामला कभी नहीं था/है कि उन 134 व्यक्तियों को गलती से भूखंड आवंटित

किए गए थे और/या 200 वर्ग मीटर आवंटित करने में कोई गलती की गई थी। उक्त 134 व्यक्तियों को भूखंड के यार्ड। इसलिए, किसी भी नकारात्मक समानता के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। अतः उपरोक्त निर्णय

हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

कर्मचारियों ने स्वेच्छा से क्वार्टर खाली किए और वे अपने घरों में बस गए, शुरुआत में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल इसलिए कि किसी भी कारण से और कानून का पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने क्वार्टर खाली किए, उन्हें कानून का पालन करने वाले व्यक्ति होने के नाते नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं माना जा सकता है कि वे सभी 318 पूर्व जिन कर्मचारियों ने क्वार्टर खाली किए और कहीं और रहे, उन्हें बसाया गया। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के इसकी इस तरह से कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे कई पूर्व कर्मचारी हो सकते हैं जिन्हें आवास खाली करने के लिए मजबूर किया गया था और जो शायद बस नहीं पाए होंगे या एक कमरे के घर में रह रहे होंगे।

किसी भी मामले में, 200 वर्ग मीटर आवंटित करने के लिए। पूर्व कर्मचारियों के लिए अनुचित कठिनाई से बचने के लिए और एक कल्याणकारी उपाय के रूप में और केवल 134 मामले वाले पूर्व कर्मचारियों के पुनर्वास के रूप में 134 पूर्व कर्मचारियों को भूखंड देना, न कि समान रूप से स्थित अन्य पूर्व कर्मचारियों के लिए, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसके विपरीत, 134 कर्मचारियों को इस आधार पर भूखंड आवंटित करना कि वे अनधिकृत व्यवसाय में थे और इसलिए मुकदमेबाजी/मुकदमेबाजी से बचने के लिए लागत उन लोगों को प्रीमियम देना होगा जो अवैध अनधिकृत व्यवसाय में बने रहे और उन पूर्व कर्मचारियों को दंडित करना होगा जो कानून का पालन करते पाए गए और दिनांक 1 के नोटिस के अनुसार क्वार्टर खाली कर दिए। यहाँ तक कि पूर्व कर्मचारियों के दो वर्गों के बीच मामले को अलग करने का औचित्य भी उचित नहीं है। यदि शेष 318 पूर्व कर्मचारी क्वार्टर खाली नहीं करते और अनधिकृत रूप से रह जाते

व्यवसाय, भले ही प्रतिवादियों की ओर से मामले के अनुसार स्वीकार किया जाता है, फिर जो लोग बाद में अनधिकृत व्यवसाय में रहे, वे कर सकते हैं

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों अपील सफल होती हैं। विवादित निर्णय और दिनांकित आदेश 19.02.2020 तेलंगाना राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 2016 की रिट अपील Nos.427 और 2016 की 431 में पारित किए गए निर्णय को

इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और 2007 की रिट याचिका No.26642 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पुनर्स्थापित किया जाता है और उत्तरदाताओं को

अधिक विशेष रूप से उत्तरदाता Nos.2 और 3 को इसके द्वारा उपचार करने के लिए निर्देशित किया जाता है

और पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4-आज़म जाही मिल्स के शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को अन्य 134 पूर्व कर्मचारियों के बराबर मानते हैं जिन्हें 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया था। सरकारी आदेश No.463 दिनांक 27.06.2007 के अनुसार मुफ्त भूखंडों के यार्ड। हालांकि, यह देखा गया है कि के. यू. डी. ए. के लिए राज्य सरकार और/या प्रतिवादी से संपर्क करने के लिए खुला रहेगा।

नं. 1 और 4/केंद्र सरकार को अतिरिक्त भूखंड/भूमि आवंटित करने के लिए, केंद्र सरकार/2002 के मॉडिफाइड वी. आर. एस. के पास उपलब्ध शेष भूमि से बाहर होना चाहिए।

वी. एनटीसी लिमिटेड। [एम. आर. शाह, जे.]

पूर्ववर्ती प्रत्यर्थी संख्या 4 मिल्स के राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और इसी पर व्यापक जनहित में विचार किया जा सकता है। शेष 318 पूर्व कर्मचारियों को भूखंडों के आवंटन की उपरोक्त कवायद - अपीलार्थी-श्रमिक संघ के सदस्य आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा हो जाएंगे। दोनों वर्तमान अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों

की अनुमति दी गई।

निधि जैन